

की
क्रमांक एवं
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाही

1

**जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय,
साहेबगंज।**

विविध वाद संख्या- 31/2022-23

राज्य सरकार

-बनाम-

मेसर्स लक्ष्मी स्टोन वर्क्स,

प्रो०-बासुकी यादव

-: आदेश :-

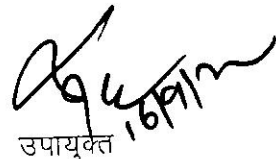
09.09.2022

76/09/22

विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता द्वारा हजारी प्राप्त। कारण पृच्छा अप्राप्त। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज से प्रतिवेदन प्राप्त।

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि तालझारी अन्तर्गत मौजा-बड़े परते के दाग नं०-14/पी एवं 34/पी रकवा 4.00 एकड़ भूमि पर अवस्थित मे० लक्ष्मी स्टोन वर्क्स, प्रो०-बासुकी यादव के क्रेशर प्लांट को 15 दिनों के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अवधि के बाद जिला टास्क फोर्स के द्वारा क्रेशर प्लांट को पूर्ण रूप से ध्वस्त (Demolish) कर दिया जायेगा। आदेश की प्रति विपक्षी मे० लक्ष्मी स्टोन वर्क्स, प्रो०-बासुकी यादव को अनुपालन हेतु भेजें। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित करें एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका को CTO रद्द करने हेतु पत्र निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 23.09.2022 को रखें



उपायुक्त

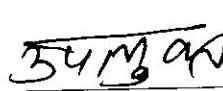
-सह-

जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

21/09/22

335/310 प्रो०

21.09.22

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कायवाही
23/09/22	विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही द्वारा दण्डणी प्राप्त कागजातों का रिपोर्ट दिनांक 02/10/22 को रखें  उपायुक्त	
07/10/22	विपक्षी द्वारा अनुपालन प्रतीवदन प्राप्त दिनांक - 21/10/22 को रखें  उपायुक्त	
21/10/22	विपक्षी द्वारा अनुपालन प्रतीवदन प्राप्त दिनांक - 15/11/22 को रखें  उपायुक्त	
18/11/22	विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही द्वारा दण्डणी प्राप्त अनुपालन प्रतीवदन प्राप्त दिनांक 29/11/22 को रखें  उपायुक्त	